श्वान वंशीय पशुओं हेतु आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (SOP) तैयार किये जाने हेतु माडल ड्राफ्ट

1. लखनऊ नगर निगम द्वारा जरहरा, लखनऊ स्थित Animal Birth Control Campus में श्वान पशु जन्म नियंत्रण प्रोजेक्ट हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे अन्य नगर निकायों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। लखनऊ नगर निगम द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र हेतु भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया) तथा प्रशिक्षक संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर तीन माह में प्रशिक्षण आरम्भ कर लिया जाए। इसके सम्बंध में नगर निगम लखनऊ द्वारा जरहरा स्थित एबीसी सेन्टर में अन्य आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु गैप एनालिसिस करते हुए विस्तृत कार्ययोजना 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाय।

2. उत्तर प्रदेश श्वान पशु जन्म नियंत्रण अनुश्रवण समिति द्वारा sub-committee का गठन कर किया जाए, जो प्रत्येक दो माह में समिति के अध्यक्ष को प्रदेश के समस्त नगर निकायों द्वारा उक्त विषय पर अमल में लाए जा रहे कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

3. उत्तर प्रदेश में कार्यरत पशु कल्याण संस्थाओं को उक्त कार्यक्रम में सहभाग कराने हेतु उक्त sub-committee द्वारा ऐसी संस्थाओं के नामों की सूची बना ली जाए तथा उनका समय-समय पर प्रशिक्षण कर उनको विधिमान्य रूप से सरकार के काम में सहायता हेतु उपयोग किया जाय।

4. शल्य चिकित्सा उपरांत पशुओं के निकाले गए अंगों का निस्तारण भारतीय जीव जंतु बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाय।

5. वर्तमान में लखनऊ नगर निगम में ए०बी०सी० सेन्टर क्रियाशील है तथा गाजियाबाद एवं अयोध्या में प्रगतिधीन है, शेष 14 नगर निगमों में इसका निर्माण चरणबद्ध रूप से अगले 2 वर्ष में कराया जाय। नगर निगम के जनपदों के अन्य स्थानीय निकाय के निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण का कार्य उन नगर निगमों के ए0बी0सी0 (Animal Birth Control) सेन्टर पर किया जाय।

6. प्रदेश के नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 58 जनपदों में निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण हेतु जनपद स्तर पर ए०बी०सी० सेन्टर का निर्माण अगले 5 वर्ष में चरणबद्ध रूप से किया जाय एवं जनपद में स्थित समस्त स्थानीय निकायों के निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण का कार्य जनपद स्तर के ए0बी0सी0 सेन्टर पर किया जाय।

7. प्रत्येक ए०बी०सी० (Animal Birth Control) सेन्टर में operation theatre, quarantine kennels, post operative care kennels, isolation kennels, stores, doctor's room इत्यादि Revised Module for Street Dog Population Management, Rabies Eradication and Reducing Man-Animal Conflict के अनुसार बनाए जाएँ। उक्त Module भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुशंसित है।

8. जिन नगर निकायों में अभी Animal Birth Control Campus की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ किसी स्थानीय पशु कल्याण संस्था से समन्वय बनाकर निराश्रित श्वानों के सम्बंध में आने वाली शिकायतों के निराकरण हेतु पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 के नियम 10 के अंतर्गत कार्यवाही की जाय।

9. The Animal Birth Control (Dogs) Rules 2001 के अनुक्रम में प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर समितियों का गठन अनिवार्य रूप से आगामी 2 माह में किया जाय।

10. सड़कों पर निराश्रित श्वानों की संख्या को सीमित करने हेतु देसी श्वानों को पालतू (adoption) बनाने हेतु विस्तृत जन संदेश दिया जाय। मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इस बात पर बल दिया गया है कि देशी कुत्तों की नस्ल को बढावा दिया जाय। मानक के अनुसार प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 03 कुत्तों का अनुपात है। इस आधार पर देशी श्वान कुत्तों को पालतू बनाये जाने का विस्तृत जन संदेश दिया जाय एवं लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाय।

11. 10 या 10 से कम देशी निराश्रित श्वानों को सड़क अथवा पशु-शरणालयों से गोद लेने वाले परिवारों को नगर निकाय में रेजिस्ट्रेशन से छूट दी जाए तथा यदि उस नगर निकाय में Animal Birth Control Campus कार्यरत हो तो ऐसे श्वान की नसबंदी एवं प्रथम टीकाकरण नि:शुल्क किया जाए।

12. Dog Breeding and Marketing Rules 2017 के Rule 13 तथा Pet Shop Rules 2018 के नियम 14 के अनुरूप नगर निकायों में चल रहे विदेशी श्वानों के विक्रय तथा प्रजनन केंद्रों को बिना वैध लाइसेन्स के न चलने दिया जाये तथा ऐसे सेन्टर को हतोत्साहित किया जाय।

13. घरों में पाले जाने वाले विदेशी नस्लों के पशुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु उनका नियमित टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

14. बडी मात्रा में खुला कचरा भोजन का प्रचुर स्रोत प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि कुत्तों की जनसंख्या विशेष रूप से भोजन, पानी एवं आश्रय जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अर्थात गली कुत्तों की आबादी का सीधा संबंध क्षेत्र में उपलब्ध भोजन एवं खाद्य अपशिष्ट पदार्थो की मात्रा से होता है। क्योंकि यह देखा गया है कि शहर के जो क्षेत्र स्वच्छ समृद्ध है वहॉ पर गली के कुत्तों की आबादी बहुत कम है, जबकि सघन, खराब गुणवत्ता वाले स्थानों तथा बड़ी मात्रा में उपलब्ध कचरे वाले शहरी क्षेत्रों में यह आबादी बहुत अधिक है। अतः गली कुत्तों की जनसंख्या में वृद्धि को नियत्रित करने हेतु खाद्य कचरें की उपलब्धता नियंत्रित करना आवश्यक है।

15. उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एनिलमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत रिवाइज्ड माड्यूल फॉर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट रेबीज इराडिकेशन रिड्युशिंग मैन-डॉग कॉन्फल्क्टि को भी संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।